



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38914

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6885/2026

श्री सदगुरु कृष्णानन्द जी महाराज सदगुरु धाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बाल मुकुंद सिंह, श्री प्रकाश मिश्र

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 33/39 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही, वाद संख्या 49003/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202514700149003) में प्रत्यर्थी संख्या 3/उप-जिलाधिकारी, तहसील सदर, जिला वाराणसी द्वारा दिनांक 21.01.2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

2. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 3 के हस्ताक्षर से प्राप्त दिनांक 18.02.2026 के निर्देश न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं, उन्हें अभिलेख पर लिया जाता है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह उचित तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, किंतु चूँकि आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के सम्पूर्ण उल्लंघन में और विवेक के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुप्रयोग के बिना पारित किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में अनुरोध किया है।

4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के प्रस्तर 8 पर भरोसा व्यक्त किया है, जो निम्नानुसार है:-

8 यह कि याचीगण का यह कथन है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या 68230 सन् 2011 ता०फै० 29-11-2011 जिसके माध्यम से उनको बेदखल न किये जाने का आदेश पारित किया गया था, इस आदेश का उल्लंघन वर्तमान आदेश द्वारा किया गया है।

धारा 33/39 के अन्तर्गत मात्र पुराने अभिलेखों में अंकित प्रविष्टि को ही बहाल किया गया है। आक्षेपित आदेश से किसी भी व्यक्ति को बेदखल किये जाने का आदेश पारित नहीं किया गया है।

5. उक्त के आधार पर, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि विपक्षी पक्षकारों/राजस्व प्राधिकरणों/जिला प्राधिकरणों द्वारा विवादित भूमि से याचिकाकर्ता को बेदखल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

8. इस मामले को देखते हुए और प्रत्यर्थी संख्या 3/उप-जिलाधिकारी, तहसील सदर, जिला वाराणसी द्वारा दिनांक 21.01.2026 को पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किए बिना, याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है कि वह आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष स्थगन आवेदन सहित पुनरीक्षण दायर करे। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है तो पुनरीक्षण प्राधिकरण उसके पश्चात् अगले तीन सप्ताह की अवधि के भीतर स्थगन आवेदन पर विनिश्चय करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आठ सप्ताह की अवधि के लिए अथवा स्थगन आवेदन पर निर्णय लिए जाने तक, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रपीड़क कार्यवाही नहीं की जाएगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले को गुण-दोष पर नहीं निर्धारित किया है।

11. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

20 फ़रवरी, 2026

शकलैन